प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 08.09.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 08.09.2025 को मा0 न्यायालय–जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

विदित हो कि दिनांक 15.12.2001 को वादी श्री बनवारी यादव पुत्र दुबर यादव निवासी राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण 01. रामसांवर यादव पुत्र सोलहू यादव व 02. रामवेलास यादव पुत्र सोलहू यादव निवासीगण राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 521/2001 धारा 323/504/325 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री हकीमुल्लाह खान द्वारा सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 521/2001 धारा 323/504/325 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्धि के आधार पर धारा 323 के आरोप में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000-1000 रु0 के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को 05-05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता व 02 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 215/2025 धारा 103(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्ता ज्योति उर्फ सोनी पुत्री स्व0 जगदीश व 02 बाल अपचारी निवासीगण दासडीह थाना बेलहरकला जनपद संतकबीनगर को आज दिनांक 08.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 07/08.09.2025 कि रात्रि समय करीब 23.00 बजे सीएचसी सेमरियावा से मेमो थाना बेलहरकला पर प्राप्त हुआ कि ग्राम दासडीह निवासी पिन्टू पुत्र जीवन राम उम्र करीब 30 वर्ष निवासी दासडीह थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर व विपक्षी सोनी पुत्री स्व0 जगदीश, गोपाल पुत्र अनिल, अनिल पुत्र स्व0 जगदीश निवासीगण दासडीह थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के बीच बच्चो को लेकर झगड़ा तथा आपस मे मारपीट हुआ है जिसमे पिन्टू पुत्र जीवराम को सीएचसी सेमरियावा ईलाज हेतु ले जाया गया है। जहाँ पर चिकित्सक द्वारा जाँच उपरान्त पिण्टू को मृत घोषित कर दिया गया है। उक्त विवाद 02 दिन पूर्व बच्चों के बिच हुआ था इस बात को लेकर के 02 दिन से आपस में कहा सुनी हो रही थी। दिनांक 07/08.09.2025 कि रात्रि 10:00 बजे मृतक काली मंदिर जो सोनी के घर के सामने है बैठा था जहां सोनी और उसके परिवार के लोग उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, मृतक जाकर के अपने छत पर बैठ गया। दोनों का छत एक दूसरे से सटा हुआ है। आरोपी छत के रास्ते से आकर के पिन्टू को ताबड़तोड़ डंडा और खंती से मारे पीटे हैं। मौके पर पहुंचकर आरोपी सोनी तथा उसके भाई अनिल तथा सोनी के लड़का गोपाल को हिरासत पुलिस में लिया गया है तथा शव का पंचायतनामा व अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए, प्रर्थाना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर 01 अभियुक्ता तथा संबंधित 02 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल गइता अभियुक्ता के निशानदेही के आधार पर किया गया बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री हरेराम यादव, हे0का0 पवन कुमार यादव, का0 संतोष चौहान, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 रविन्द्र निषाद,म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 530 वाहनों से 6,30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 530 वाहनों से 6,30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 333/2025 धारा 137(2) से संबंधित पंजीकृत अभियोग में साक्ष्य संकलन व अभिलेखों के आधार पर बढ़ोतरी धारा 65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता शिवकुमार यादव पुत्र राजदेव यादव निवसी ग्राम सागठ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अमरडोभा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 06.09.2025 को प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, हे0का0 मनोज यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 439/2025 धारा 105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त भोलेनाथ पुत्र चन्द्रबली निवासी उमरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर आज दिनाँक 08.09.2025 को खलीलाबाद बिड़हरघाट मार्ग बिड़हरघाट से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 05.09.2025 को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपनी प्रेमिका को किसी अन्य से बात करने से मना करने व आपसी विवाद करते हुए अपनी प्रेमिका के सर पर डण्डे से मारा जिससे वह बेहोश हो गयी। इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टर द्वारा उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया था। थाना स्थानीय पर प्राप्त मेमों के आधार पर मु0अ0स0 439/2025 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत कर थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 08.09.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भोलेनाथ पुत्र चन्द्रबली निवासी उमरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अ0नि0 रामेश्वर यादव, का0 रजनीश यादव, का0 मुन्नेलाल गुप्ता।

□ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा डग्गामर वाहनों के विरूद्ध चलाया गया विशेष अभियान***

□ ***अभियान के तहत जनपद से कुल 530 वाहनों से 6,30,000 रु0 वसूला गया जुर्माना***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 08.09.2025 को स्कूल/ कोचिंग संस्थान के बच्चों को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व चोटों को कम करने के लिए किए गए एक सामाजिक प्रयास है. इस अभियान के तहत "नो हेलमेट, नो फ्यूल" जैसी पहल, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शामिल है ताकि सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 04 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 08.09.2025 को मा0 न्यायालय–जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया।

विवरणः-

विदित हो कि दिनांक 21.07.2014 को वादी श्री रामलौट पुत्र रामबहाल निवासी रजनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर सूचना दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण 01. अखिलेश राय 02. शम्भू प्रसाद राय पुत्र लखपत राय 03. सुरेन्द्र राय पुत्र केशव राय 04. दीनदयाल राय पुत्र सुरेन्द्र राय निवासीगण रजनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 829/2014 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)X sc/st एक्ट पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 829/2014 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)X sc/st एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323, 504, 506 भादवि0 में दोष सिद्ध व धारा 3(1)X sc/st एक्ट में दोषमुक्त किया जाता है। दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया।